

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

संकल्प

विषय :- नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान स्वीकृत करने के संबंध में ।

फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी कर्मियों को भारत सरकार के सरकारी कर्मियों के सदृश वेतनमान एवं अन्य प्रसुविधाएँ अनुमान्य है ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय प्रभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापांक 05/07/2003 दिनांक 22 दिसम्बर 2003 द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 01.01.2004 से लागू करने का निर्णय लिया गया । उक्त के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा भी भारत सरकार के सदृश ही अधिसूचना संख्या 518/वित्त पें० दिनांक 09.12.2004 द्वारा दिनांक 01.12.2004 से इस राज्य में भी यह योजना लागू की गई है ।

3. नई अंशदायी पेंशन योजना के अनुसार दिनांक 01.12.2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान की प्रसुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी ।

4. उक्त क्रम में भारत सरकार के पत्रांक संख्या 7/5/2012 P&PW(F)/B दिनांक 26.08.2016 द्वारा नई पेंशन योजना से आच्छादित केन्द्रीय कर्मियों को सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान का लाभ स्वीकृत किया गया है । नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान की सुविधा देने का मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन था ।

5. झारखण्ड राज्य के नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों के लिए भी भारत सरकार के पत्रांक 7/5/2012 P&PW(F)/B दिनांक 26.08.2016 के संकल्प के अनुसार ही केन्द्र सरकार के कर्मियों की भांति सेवानिवृत्ति-सह-मृत्यु उपादान का लाभ देने पर विचार किया जाना अपेक्षित है ।

6. अतः सम्यक विचारोपरान्त झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि झारखण्ड राज्य में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी

कर्मियों को भी झारखण्ड पेंशन नियमावली 2000 के संगत नियमों के अनुसार ही सेवानिवृत्ति-सह-मृत्यु उपादान का लाभ संकल्प निर्गत होने की तिथि से अनुमान्य होगा ।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 18.06.2019 की बैठक के मद संख्या 10 में इसकी स्वीकृति दी गई है

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(के०के० खंडेलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक :- भ०नि०-41/2010..134.../वि०३० राँची, दिनांक ..8/7/19

प्रतिलिपि:- माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने हेतु योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के०के० खंडेलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

